

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/ ०५८ /2024


दिनांक ०१.03.2024

श्री हरेन्द्र सिंह(RJ00191), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को दिनांक 11.03.2024 से 14.03.2024 तक 04 दिनों का **उपार्जित अवकाश** दिनांक 10.03.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



01-03-2024
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/29/1994/1910

दिनांक ०१.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 2674 दिनांक 18.01.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हरेन्द्र सिंह(RJ00191), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर ।


01-03-2024
सहायक रजिस्ट्रार